

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक ५ अ-82/17-18 मौजा चिचंडा / 3008

बैतूल दिनांक 24-03-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित -रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	चिचंडा	16.249	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	चिचंडा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे०	कुल अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	आनंदराव, सुशील, सुनील व. बाजेराव बतसिया राधिका, गीता लता पिता बाजेराव पंवार सा.देह भूमिस्वामी	566/1	2.867	1.657
2	मुन्ना, भोपत दवीकुमार व. अमर्या, बुलंका कंखा, मुन्नी चम्पा पिता अमर्या सा. देह भूमिस्वामी	566/2	0.741	0.500
3	अशोक व. गेंदलाल पंवार सा. देह भूमिस्वामी	566/3	1.180	0.680
4	अनिल व. गेंदलाल पंवार सा. देह भूमिस्वामी	566/4	1.687	0.860
5	चंद्रभान, रायभान, श्यामराव व. लोधा सा. देह भूमिस्वामी	564/1	1.807	1.600
		567	0.809	0.809
6	दुर्गाबाई जौ. सीताराम, मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	564/2	2.531	2.031

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
7	नारायण व. गजमल, लखन, रमेश, गोकूल व. बाबू, जैवन्ती बेवा कन्हैया, गजानंद व. कन्हैया, संगीता, अंजना पिता कन्हैया, सुमन पिता बाबू सा. देह भूमि स्वामी	548/1	1.424	0.355
		563/1	1.259	1.259
8	दयाराम, दशरथ, भारत, व. गिरधारी, मीराबाई पिता गिरधारी सा.देह भूमिस्वामी	548/2	1.607	0.250
9	रामदयाल, सुरेश, श्रीराम व. गिरधारी, जाति पंवार सा.देह भूमिस्वामी	563/2	1.469	1.469
10	रामदयाल, सुरेश, व. गिरधारी, जाति पंवार सा.देह भूमिस्वामी	563/3	0.820	0.820
11	श्रीराम व. शंकर, मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	563/4	0.309	0.309
		563/5	0.310	0.310
		548/5	0.362	0.312
		548/6	0.362	0.062
12	हरिराम व. जयराम सा. देह भूमिस्वामी	563/10	0.054	0.054
13	हरिराम व. जयराम सा. देह भूमिस्वामी	548/7	0.362	0.362
		563/6	0.310	0.310
		563/7	0.106	0.106
14	श्रीराम व. गिरधारी सा. देह भूमि स्वामी	563/8	0.489	0.489
15	रेखा बेवा देवीशंकर, पितम व. देवीशंकर, लता, निलम, पिता देवीशंकर पंवार सा.देह भूमिस्वामी	563/9	0.600	0.600
16	रविशंकर व. पन्नालाल सा. देह भूमिस्वामी	548/9	0.600	0.050
17	गौरीशंकर व. पन्नालाल सा. देह भूमिस्वामी	548/8	0.150	0.050

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
18	नेहरू व. सुखलाल, बापूराव, भाऊराव, व. रामचंद्र, कौशल पिता रामचंद्र, लेखराम कैलाश, जगदीश, सीताराम, व. बाबूलाल, निर्मला, रमला पिता बाबूलाल, मंघा बेवा बाबूलाल, सुरेश व. रामप्रसाद, सैवती, सुखवंती पिता रामप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी	550/7	1.458	0.380
19	भारत, सूरत, सूरजू व. सोमजी, सावित्री पिता सोमजी, समिया पिता जिवतू, भूरीबाई बेवा मनिराम, श्रीराम हरिराम व. मनीराम जनार्दन व. कुशन गोंड सा.देह भूमिस्वामी	568/1	7.591	0.200
20	झब्बू व. झामसिंग गोंड सा. देह भूमिस्वामी	568/2	0.365	0.365
योग				16.249

1- चूंकि चिचंडा लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । पृथक से तैयार किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(शशांक मिश्र)


कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

२

पृ0क0 9 अ-82/वर्ष 17-18/ 3008
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 24-3-2018

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5- प्रभासी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चिचण्डा तहसील भैसदेही जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।


कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग